

अंचल कार्यालय महेशपुर।
राजस्व विविध चाद अभिलेख संख्या-47/16-17
(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा-4(4)के अन्तर्गत)

पदाधिकारी का आदेश

अभ्युक्ति

-: आदेश :-

इस चाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0गू0 (दिशा निर्देश)-95/2016, 2074/स10 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता पाकुड़ के संसूचित आदेश झापांक 479/स10 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजसूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जाँच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा-दराजपुर थाना संख्या-230 अनाबादी खाता संख्या-84 दाग संख्या-64 कुल खतियानी रकबा-09 बीघा 11 कट्ठा 04 धूर किस्म-अनाबादी पोखर कहकर विगत सवें खतियान में दर्ज है जो मौज-दराजपुर के राजस्व पंजी-11 भाग संख्या-1 पेज संख्या-102 में कोवाद शेख मोहसन मंडल व आईनुदीन मंडल साकिन-दराजपुर के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के जमाबंदी कायम है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा राजस्व पंजी-11 की सम्यक् जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत दाग की भूमि की राजस्व पंजी-11 के भोल्यूम संख्या-1 पेज संख्या-102 में प्रविष्टि की कोई विवरणी/आधार साक्ष्य अंकित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एवं सरकारी भूमि पर गलत/फर्जी दस्तावेजों की आड़ में रैयती दावा करने का कुप्रयास है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा लोकहित एवं सरकार के हित में कायम जमाबंदी विलोपन एवं सरकार में सन्निहित करने की अनुशंसा की गई है। इस कार्यालय के झापांक 435/स10 दिनांक 04.07.2016 से निर्गत प्रथम नोटिश, तदुपरान्त विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए निर्गत द्वितीय एवं तृतीय नोटिश झापांक-186/स10 दिनांक-14.03.2020 जो अभिलेखबद्ध है, के प्रत्युत्तर में विपक्षी द्वारा प्रश्नगत दाग की भूमि पर अपने विधिमान्य दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा राजस्व पंजी-11 के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत कायम जमाबंदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एवं सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत कायम की गई है जिसका सरकार के हित में विलोपन अति आवश्यक है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रौंची के पत्रांक-1704 दिनांक-15.07.2020 से यह स्पष्ट दिशा निदेश प्राप्त है कि वर्ष 01.01.1946 के पूर्व निबंधित बिक्रयपत्र/पट्टा/हुक्मनामा के आधार पर खोले गए जमाबंदी की सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन ए के पश्चात् आदेश पारित करना है। पुनश्च: यह भी महत्वपूर्ण रूप से उल्लिखित करना है कि वर्णित दाग की भूमि ऑनलाईन खतियान में कुल रकबा-09 बीघा 11 कट्ठा 00 धूर है जबकि विपक्षीगणों के पक्ष में कुल खतियानी रकबा से अधिक की जमाबंदी कायम की गई है। सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत कायम जमाबंदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एवं सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत कायम की गई है जिसका सरकार एवं लोकहित में विलोपन आवश्यक है। अतः मौजा-दराजपुर थाना संख्या-230 अनाबादी खाता संख्या-84 दाग संख्या-64 कुल खतियानी रकबा-09 बीघा 11 कट्ठा 04 धूर किस्म-अनाबादी पोखर का विपक्षी-सह-पंजी-11 रैयत कोवाद शेख मोहसन मंडल व आईनुदीन मंडल साकिन-दराजपुर के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के राजस्व पंजी-11 के भाग संख्या-1 पेज संख्या-102 में कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

[Signature]
21/5/21

[Signature]
21/5/21